**FORM NO -III**
**फर्द अहकाम**
**(नियम 26)**

**अज अदालत जिला कलक्टर एवं मुकाम नागौर**

**प्रार्थी**
कल्याणसिंह पुत्र मूलसिंह जाति राजपूत निवासी छावटा खुर्द तहसील जायल जिला नागौर

**बनाम**

**अप्रार्थीगण**
1. सुरेश कुमार आर.ए.एस. सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल तहसील जायल जिला नागौर वगैरह

**किस्म मुकदमा राजस्व मुन्तकिल प्रार्थना पत्र संख्या 18 सन् 2020**

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए |
|---|---|---|
| 20.02.2020 | प्रार्थी ने धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल के यहां विचाराधीन राजस्व विविध प्रकरण संख्या–16/2019 धर्मीला बनाम कल्याणसिंह व अन्य प्रकरण को अन्यंत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अधिनस्थ न्यायालय से पैरावाईज टिप्पणी तलब हो। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो। पत्रावली दिंनाक 19.03.2020 को पेश हो।<br><br>जिला कलक्टर,नागौर | |
| 19.3.20 | वकुलाय ने आज न्यायिक कार्यवाही में भाग नहीं होने का निर्णय लिया है। प्रकरण में सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जायल द्वारा इस न्यायालय को प्रेषित रिपोर्ट पत्रांक-कोर्ट/जनाब/2020/36 दिनांक 05-03-2020 जो शा. मि. है, का अवलोकन किया, उक्त रिपोर्ट अनुसार वकील प्रार्थी ने प्रकरण सं. 16/2019 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जायल प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय मे ~~मु~~ मुन्तकिल करने के संबंध प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र पेश किया, उक्त प्रकरण सं. 16/2019 का सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 28.02.2020 को निर्णय पारित कर दिया है। इस प्रकार वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत इस मुन्तकिल प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं रह जाने के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश सुनाया गया। आदेश की प्रति सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।<br><br>(दिनेश कुमार यादव)<br>कलक्टर, नागौर | |

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Yadav
Date: 2020.05.26 16:29:09 IST
Reason: SelfAttested